

राजस्थान उच्च न्यायालय
जयपुर पीठ

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 10439/2022

1. भारत संघ, अपने सचिव, दूरसंचार विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, संचार भवन, 20, अशोक रोड, नई दिल्ली- 110001 के माध्यम से।
2. मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ), दूरसंचार विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार, संचार भवन, 20, अशोक रोड, नई दिल्ली- 110001।
3. भारत सरकार के अवर सचिव (वीटी), संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, दूरसंचार विभाग, (सतर्कता-II अनुभाग) 919, संचार भवन, 20, अशोक रोड, नई दिल्ली- 110001।

----याचिकाकर्ता

बनाम

संतोष कुमार मीणा पुत्र श्री बी.एन. मीणा, आयु लगभग 48 वर्ष, निवासी जी-149, तिरुपति नगर, जगतपुरा, जयपुर और उस समय ए.डी.जी.-II, कार्यालय डीडीजी, टर्म सेल, राजस्थान, संचार भवन, झालाना इंस्टीट्यूशनल एरिया, जयपुर के रूप में कार्यरत थे। वर्तमान में सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है।

----प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के लिए : श्री गौरव जैन

प्रतिवादी के लिए : श्री चंद्र भान शर्मा

माननीय श्री न्यायमूर्ति अवनीश झिंगन

माननीय श्री न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार**आदेश****03/07/2024****अवनीश झिंगन, जे (मौखिक):-**

1. यह याचिका केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, जयपुर पीठ, जयपुर (संक्षेप में 'न्यायाधिकरण') द्वारा प्रतिवादी के मूल आवेदन संख्या 552/2015 (ओ.ए.) को स्वीकार करते हुए पारित दिनांक 23.02.2022 के आदेश से व्यथित होकर दायर की गई है।

2. संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि प्रतिवादी को भारतीय दूरसंचार सेवाओं में नियुक्त किया गया था और भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) के गठन पर, उसे बीएसएनएल में प्रतिनियुक्ति पर तैनात किया गया था। वर्ष 2005 में, प्रतिवादी को बीएसएनएल कर्मचारियों के लिए अस्पताल के पैनल बनाने हेतु एक समिति के गठन द्वारा कर्तव्य सौंपे गए थे। प्रतिवादी को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा एक ट्रैप केस में रंगे हाथों पकड़ा गया था और उसे आरोप-पत्र दिया गया था। सक्षम प्राधिकारी ने आरोपों की जांच करने का फैसला किया। जांच अधिकारी द्वारा जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। हालांकि, सक्षम प्राधिकारी ने पाया कि देरी और प्रक्रियात्मक चूक थी और 18.08.2015 के आदेश के माध्यम से पुनः जांच का आदेश दिया। आदेश से व्यथित होकर, प्रतिवादी ने न्यायाधिकरण के समक्ष ओ.ए. प्रस्तुत किया। ओ.ए. के लंबित रहने के दौरान, प्रतिवादी को 16.09.2019 को दोषी ठहराया गया था। दोषसिद्धि के आधार पर प्रतिवादी को 11.01.2021 को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। याचिकाकर्ताओं ने दोषसिद्धि और बर्खास्तगी आदेश को रिकॉर्ड पर लाने के लिए न्यायाधिकरण के समक्ष विविध आवेदन दायर किया, प्रार्थना यह थी कि दोषसिद्धि के मद्देनजर

ओ.ए. को खारिज कर दिया जाना चाहिए। न्यायाधिकरण ने दो बीएसएनएल अधिकारियों के पहले के ओ.ए. के संदर्भ में प्रतिवादी के ओ.ए. का फैसला किया, जो ट्रैप केस में भी आरोपी थे। ओ.ए. को स्वीकार किया गया और पुनः जांच आदेश को रद्द कर दिया गया। विभाग को यह तय करने की स्वतंत्रता दी गई थी कि विभागीय कार्यवाही को आगे बढ़ाना है या नहीं। इसके अलावा, यह आदेश दिया गया था कि कार्यवाही को प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तारीख से छह महीने के भीतर पूरा किया जाए। निर्णय से व्यथित होकर, वर्तमान याचिका दायर की गई है।

3. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील का कहना है कि प्रतिवादी ओ.ए. संख्या 666/2016 और 28/2017 में आवेदकों के बराबर नहीं था। उन कर्मचारियों को आपराधिक कार्यवाही में बरी कर दिया गया था और वे सेवा में थे, जबकि प्रतिवादी को दोषी ठहराया गया था और ओ.ए. की सुनवाई के समय, दोषसिद्धि के कारण सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। उनका तर्क है कि उस स्तर पर विभाग के लिए यह तय करने का कोई अवसर नहीं था कि विभागीय कार्यवाही को आगे बढ़ाना है या नहीं।

4. प्रतिवादी के विद्वान वकील का कहना है कि विभागीय कार्यवाही में प्रतिवादी के साथ ओ.ए. संख्या 666/2016 और 28/2017 में आवेदकों की तरह ही व्यवहार किया जाना चाहिए था।

5. पुनः जांच आदेश को चुनौती देने के लिए प्रतिवादी का कारण दोषसिद्धि और दोषसिद्धि के कारण सेवा से बर्खास्तगी के परिणामस्वरूप समाप्त हो गया था। ओ.ए. का फैसला करने की तारीख को न्यायाधिकरण के पास पुनः जांच आदेश की वैधता की जांच करने का कोई अवसर नहीं था। न्यायाधिकरण ने यह सराहना न करने में गलती की कि प्रतिवादी अब सेवा में नहीं था और उसे बर्खास्त कर दिया गया था।

6. ओ.ए. संख्या 666/2016 और 28/2017 में आवेदकों के साथ प्रतिवादी द्वारा मांगी गई समानता निराधार है। प्रतिवादी को दोषी ठहराया गया था जबकि दो ओ.ए. में आवेदकों को संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया गया था।

7. यह ध्यान देना उचित होगा कि यदि प्रतिवादी आपराधिक मामले में बरी हो जाता है या बर्खास्तगी के आदेश को चुनौती देने में सफल होता है तो पुनः जांच का आदेश प्रभावी हो जाएगा।

8. उपरोक्त के मद्देनजर, रिट याचिका को स्वीकार किया जाता है और प्रतिवादी के संबंध में न्यायाधिकरण के आदेश को रद्द किया जाता है।

9. हालांकि, यह देखते हुए कि प्रतिवादी की दोषसिद्धि अपील का विषय है, प्रतिवादी को यह स्वतंत्रता दी जाती है कि यदि आवश्यकता उत्पन्न होती है तो वह न्यायाधिकरण के समक्ष ओ.ए. को पुनर्जीवित करने के लिए एक आवेदन दायर कर सकता है।

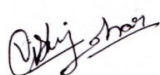
(आशुतोष कुमार),जे

(अवनीश झिंगन),जे

सिंपल कुमावत/68

क्या रिपोर्ट करने योग्य है: हाँ

अस्वीकरण:- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय केवल वादियों के अपनी भाषा में लाभ के लिए हैं तथा इनका किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। निर्णय का अंग्रेजी संस्करण सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए प्रामाणिक होगा और इसे लागू करने में प्राथमिकता दी जाएगी।



एडवोकेट विष्णु जांगिड़